इस फैसले के अनुपात के बाद फिर से मॉडर्न होटल, गुडूर में शीर्ष अदालत ने एम. एन. नारायणन बनाम के. राधाकृष्णैया और [1]अन्य (15) द्वारा प्रतिनिधित्व किया।इस प्रकार, यह कहना पूरी तरह से अवैध था कि पट्टेदार किराए अवशिष्ट में था।

22. ऊपर बताए गए कारणों से, पुनरीक्षण याचिका विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

आरएनआर

इससे पहलेःए. पी. चौधरी जे.

मूर्ति दुर्गा माई जी श्री द्वारा से। हरफूल सिंह *और अन्य,-* *याचिकाकर्ता।*

बनाम

हर नारायण और अन्य,- उत्तरदाता।

***1991 का सिविल* रेव. संख्या 2647**

12 मार्च, 1992।

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) - आदेश 40 - नियम 1 - रिसीवर की नियुक्ति - नियुक्त किया जा सकता है जहां न्यायालय इसे उचित और सुविधाजनक पाता है - वादी को ऐसी नियुक्ति को उचित ठहराने के लिए प्रथम दृष्टया अच्छा मामला दिखाना होगा - जहां वादी प्रथम दृष्टया असमर्थ है प्रथम दृष्टया विशेष कब्जा दर्शाने पर रिसीवर नियुक्त करना उचित एवं सुविधाजनक नहीं माना जा सकता।

(पैरा 6 एवं 7)

ए. पी. चौधरी।

अभिनिर्धारित किया गया कि संहिता के आदेश 40 नियम 1 के तहत एक रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है, जहां न्यायालय को लगता है कि ऐसा करना उचित और सुविधाजनक है। यह आवश्यक निहितार्थ से इस प्रकार है कि वादी को रिसीवर की नियुक्ति के प्रयोजनों के

(15) 1989 H.R.R. 273

लिए आदेश 40 नियम 1 के आवेदन को उचित ठहराने के लिए एक अच्छा प्रथम दृष्टया मामला दिखाना होगा|

अभिनिर्धारित किया गया कि जहां वादी अपने विशेष कब्जे के संबंध में एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला बनाने में असमर्थ है, मोटे तौर पर वहां रिसीवर नियुक्त करना उचित और सुविधाजनक नहीं माना जा सकता है।

खंड 115 सी. पी. सी. के तहत श्री एस. एन. चड्ढा, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, नारनौल, दिनांक 30 मई, 1991 के न्यायालय के आदेश के संशोधन के लिए याचिका, जिसमें श्री एस. के. धवन, एच. सी. एस., अतिरिक्त वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, नारनौल, दिनांक 5 सितंबर, 1990 के आदेश को उलट दिया गया था, अपील को स्वीकार करते हुए और 5 सितंबर, 1990 के विद्वत निचली अदालत के आदेश को दरकिनार करते हुए और हालांकि अपीलकर्ताओं को निर्देश देते हुए, धन के दुरुपयोग से बचने के लिए एक समिति के तहत तारीख-वार उचित खाते रखेंगे, जैसा कि पहले ही आदेश दिया जा चुका है,-13 सितंबर के आदेश के अनुसार।

1990 और निचली अदालत को मामले का शीघ्र निर्णय करने का निर्देश दिया और पक्षों को 3 जून, 1991 को विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।

दावाःआवेदन यू/ओ 40 नियम 1 सीपीसी
पुनरीक्षण में दावाःनिचली अपील न्यायालय के आदेश को उलटने के लिए।

1992 का आर. ए. सं. 1-सी. आई. आई.

खंड 114 सी. पी. सी. के तहत आवेदन में अनुरोध किया गया है कि आवेदन की अनुमति दी जाए और आवेदन में बताए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश के हित में 17 दिसंबर, 1991 के आदेश की समीक्षा की जाए और याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया जाए।

एस. के. मित्तल, अधिवक्ता, आवेदकों की ओर से।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता के. एस. ग्रेवाल।

न्याय

(1) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 114 (जिसे इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित किया गया है) के अनुसार मूर्ति दुर्गा माई जय, एक देवता, ने एक उपासक और दो अन्य लोगों द्वारा से, 13 व्यक्तियों के खिलाफ "नारनौल" में सिविल न्यायालय में एक दीवानी मुकदमा दायर किया।मुकदमा में दावा किया गया था कि देवता का मंदिर ग्राम पंचायत में *निहित* शामलात भूमि में बनाया गया था।साल में दो बार एक मेला आयोजित किया जाता था जिसमें भारी-भरकम प्रसाद चढ़ाया जाता था।वादी ने प्रतिवादी को उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रसाद को विनियोजित करने से रोकने वाले स्थायी निषेधाज्ञा के साथ एक घोषणा की मांग की।मुकदमा विचाराधीनता रहने के दौरान, मुकदमी ने प्रसाद एकत्र करने और मुकदमा में निर्णय के अनुसार उसका लेखा रखने के लिए एक प्राप्तकर्ता की नियुक्ति के लिए संहिता के आदेश 40 नियम 1 के तहत एक आवेदन किया।आवेदन का विरोध किया गया।ट्रायल कोर्ट ने वादी के पक्ष में एक अच्छा प्राथमिक मामला पाया *और इस* निष्कर्ष पर पहुंचा कि रिसीवर नियुक्त करना उचित और सुविधाजनक था और तदनुसार एक रिसीवर नियुक्त किया गया था।प्रतिवादियों ने आदेश के खिलाफ अपील की।विद्वत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित करते हुए अपील की अनुमति दी कि संहिता का आदेश 40 नियम 1 न्यायालय को किसी भी व्यक्ति को संपत्ति के कब्जे या अभिरक्षा से हटाने के लिए अधिकृत नहीं करता है, जिसे मुकदमे में किसी भी मुकदमा को आदेश 40 के नियम 1 के उप-नियम (2) के अर्थ के भीतर हटाने का वर्तमान अधिकार नहीं था।वादी ने 1991 के सिविल संशोधन संख्या 2647 को प्राथमिकता दी, जिसकी सुनवाई 17 दिसंबर, 1991 के आदेश द्वारा की गई थी और इसकी अनुमति दी गई थी।प्रतिवादी, जो उक्त पुनरीक्षण याचिका में प्रतिवादी थे, में पारित आदेश से व्यथित महसूस करते हैं |

पुनरीक्षण याचिका और मुख्य रूप से तीन आधारों पर इसकी समीक्षा की मांग की गई है। ये हैं :-

(i) 1991 के आर. एस. ए. सं. 1988 में, जो मुकदमाकारों के बीच पिछले मुकदमे से उत्पन्न हुआ था, इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने ग्राम पंचायत, उसके सरपंच हरफूल सिंह और राम सरूप पंच को देवता की संपत्ति के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोक दिया था, जिसका प्रतिनिधित्व मोहत्मिम हर नारायण और अन्य के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जब तक कि उक्त अपील का निर्णय नहीं हो जाता।

(ii) वादी द्वारा दायर मुकदमा गलत था क्योंकि मंदिर स्वयं ग्राम पंचायत में निहित भूमि में नहीं बल्कि देवता से संबंधित भूमि में स्थित था।

(iii) पक्षों के बीच अधिकारों का सवाल मुकदमेबाजी के कई दौर में समाप्त हो गया और इसे फिर से शुरू नहीं किया जा सका।

2. समीक्षा आवेदन में नोटिस जारी किए जाने के बाद, मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

3. बिन्दु सं. (i) पर आते हुए यह कहा जा सकता है कि 1991 के आर. एस. ए. सं. 1988 में प्रतिवादी अर्थात ग्राम पंचायत, हरफूल सिंह सरपंच और राम सरूप पंच को अपीलकर्ताओं के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोक दिया गया था, अर्थात मूर्ति दुर्गा माई जी को मोहत्मिम्स हर नारायण द्वारा से, जिसका प्रतिनिधित्व अब उनके एल. आर. और अन्य द्वारा किया जाता है।उक्त स्थगन आदेश आज तक लागू है।ग्राम पंचायत के विद्वान अधिवक्ता श्री के. एस. ग्रेवाल का तर्क।, यह है कि ग्राम पंचायत, उसके सरपंच और एक अन्य पंच के खिलाफ निषेधाज्ञा का अनुदान एक दुर्गम कठिनाई प्रस्तुत नहीं करता है और यह सभी उपयुक्त मामलों में एक रिसीवर नियुक्त करने के लिए न्यायालय के लिए खुला था।उन्होंने निम्नलिखित तीन अधिकारियों पर भरोसा किया है:–

1. मेसर्स कोठारी प्लांटेशन एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनामदक्षिणपत सत्र और [2]अन्य (1);

---

1. ए. टी. आर. 1973 गुवाहाटी 74.

2. श्री वेंकटरमण मंदिर शिक्षा बोर्ड, करकला बनाम सी. मणिजुनाथ कामत और [3]अन्य (2) और
3. एस. बी. इंडस्ट्रीज, फ्रीगंज और एक अन्य बनाम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और अन्य (3)

इन प्राधिकरणों में निर्धारित कानून के उनके प्रस्ताव पर मोहत्मिमों के विद्वान अधिवक्ता श्री एस. के. मित्तल ने कोई विवाद नहीं किया है।हालाँकि, उन्होंने दृढ़ता से तर्क दिया है कि ग्राम पंचायत आदि द्वारा स्थापित मुकदमा पूरी तरह से गलत था, जिसमें मंदिर का निर्माण ग्राम पंचायत में निहित भूमि पर नहीं किया गया था, बल्कि भूमि के एक अन्य टुकड़े में किया गया था जो स्वयं देवता में निहित था।श्री एस. के. मित्तल ने आगे तर्क दिया कि ऐसा होने के कारण, संभवतः न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि संहिता के आदेश 40 नियम 1 के तहत आवश्यकता के अनुसार रिसीवर नियुक्त करना न्यायसंगत और सुविधाजनक था।इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने मुकदमे के पहले दौर की ओर भी मेरा ध्यान आकर्षित किया, जिसमें वेद प्रकाश के पिता राम सरूप, जो वर्तमान मुकदमे में अभियोक्ता संख्या 3 थे, के अलावा ग्राम पंचायत और उसके वर्तमान सरपंच को देवता की संपत्ति के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोक दिया गया था, जैसा कि मोहतमों, हर नारायण द्वारा प्रबंधित किया जाता था, जिनका प्रतिनिधित्व अब उनके एल. आर. और अन्य द्वारा किया जाता है।

4. उत्तर में श्री के.एस.ग्रेवाल का तर्क केवल यही है जिस आधार पर समीक्षा आवेदन दायर किया गया था वह यह था कि आर.एस.ए. में स्थगन आदेश का अस्तित्व क्रमांक 1988 का 1991 नहीं था जिस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से आपत्ति दर्ज कराते हुए संज्ञान लिया है प्राधिकारी इस दृष्टिकोण के पक्ष में थे कि निषेधाज्ञा देने से ऐसा हुआ उचित मामलों में न्यायालय को रिसीवर नियुक्त करने से न रोका जाए। प्रथम दृष्टया मामले के गुण-दोष के संबंध में, श्री के.एस. ग्रेवाल,कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने ऐसा पाया था और इसकी पुष्टि की गई थी| निचली अपीलीय अदालत के साथ-साथ इस अदालत ने

ए. आई. आर. 1974 कामतक 59.

ए. टी. आर. 1978 इलाहाबाद 189,

अनुमति देकर समीक्षाधीन आदेश द्वारा पुनरीक्षण याचिका। किसी भी मामले में, के अनुसार श्री के.एस. ग्रेवाल, तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता में इस मामले में, प्रसाद को संरक्षित करना बेहद उचित और सुविधाजनक था जिसे वर्ष में दो बार एकत्रित कर राशि सौंप दी जाती है,जो कोई भी अंततः उसका हकदार पाया जाता है।

5. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद।मैं यह मानने के लिए विवश हूं कि विचाराधीन आदेश की समीक्षा की जानी चाहिए।

6. एक प्राप्तकर्ता को संहिता के आदेश 40 नियम 1 के तहत नियुक्त किया जा सकता है जहां न्यायालय को लगता है कि ऐसा करना उचित और सुविधाजनक है।यह आवश्यक निहितार्थ का अनुसरण करता है कि अभियोक्ता को प्राप्तकर्ता की *नियुक्ति* के उद्देश्यों के लिए आदेश 40 नियम 1 के आवेदन को उचित ठहराने के लिए एक अच्छा प्रथमदृष्टया मामला दिखाना चाहिए।शिकायत में, देवता का मंदिर खसरा संख्या 77,77/1 और 77/2 पर स्थित होने का आरोप लगाया गया था, जो ग्राम पंचायत में *शामलात देह* के रूप में निहित *था।* वर्ष 1987-88 के लिए जमाबंदी के अवलोकन से पता चलता है कि मंदिर में स्थित है| खसरा सं. 83 जो उसी जामबंदी के अनुसार *है;* मंदिर दुर्गा माई जी के मोहत्मियों के कब्जे में। वर्ष 1961-62 खसरा संख्या 77 (OK-8M), *77/1* (4K-7M) और 77/2 (IK-7M) के लिए जमाबंदी के अनुसार, जो ग्राम पंचायत से संबंधित है, को "गैर मुमकिन मेला ग्राउंड मंदिर देवी जी" *के रूप में वर्णित किया गया है।श्री* एस. के. मित्तल ने बताया कि जहां देवता का मंदिर खसरा संख्या 83 में स्थित था, वहीं खसरा संख्या 77,77/1 और 77/2 में शामिल कुछ भूमि भी मंदिर के कब्जे में थी।ग्राम पंचायत ने ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम 1961 की खंड 7 (2) के तहत देवता के मोहत्मियों को बेदखल करने की मांग की।सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, नारनौल ने 26 दिसंबर, 1966 के आदेश द्वारा ग्राम पंचायत के आवेदन को खारिज कर दिया।उपरोक्त स्पष्टीकरण प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट *करता है* कि देवता का मंदिर ग्राम पंचायत में निहित खसरा संख्या में नहीं बल्कि एक अन्य खसरा संख्या, अर्थात् खसरा संख्या 83 में स्थित प्रतीत होता है, जो मूर्ति में ही निहित है।

यह कहना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है कि समीक्षा की मांग केवल इस आधार पर की गई थी कि न्यायालय ने आर. एस. ए. में दिए गए निषेधाज्ञा आदेश पर ध्यान नहीं दिया। वास्तव में, अन्य आधार, *अर्थात् प्रथमदृष्टया* मामले और पिछली मुकदमेबाजी से संबंधित, भी समीक्षा आवेदन में लिए गए थे।जहाँ अभियोक्ता अपने अनन्य अधिकार के संबंध में एक मजबूत *प्रथमदृष्टया मामला* बनाने में असमर्थ है, मोटे तौर पर कहें तो इसे प्राप्तकर्ता नियुक्त करने के लिए उचित और सुविधाजनक नहीं माना जा सकता है।वर्तमान मामले में, प्राप्तकर्ता की नियुक्ति को उचित ठहराते हुए असाधारण परिस्थितियां नहीं बनाई गई हैं, *भले ही* प्रथमदृष्टया वादी को कब्जे में नहीं पाया गया था।

(7) पूर्वगामी कारणों से, 17 दिसंबर का आदेश। 1991 में, 1991 के सिविल संशोधन संख्या 2647 को वापस ले लिया गया और पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई।तथापि, विचारण न्यायालय मुकदमा का शीघ्रता से निपटारा करेगा।

इससे पहलेःजी. आर. मजीठिया, जे. और ए. एस. नेहरा, जे.-

रघु नाथ,- **याचिकाकर्ता।**

बनाम

भाग माल,- **उत्तरदाता।**

1983 की अवमानना अपील सं. 4।

9जुलाई, 1992।

न्यायालय अवमानना अधिनियम-(1971 का 70)-धारा 19-अपीलार्थी ने कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया-अपील न्यायालय द्वारा आदेशित मुकदमा-प्रतिवादी द्वारा अस्थायी रूप

अस्वीकरण *: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।*

मनीषा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

बहादुरगढ़,हरियाणा